

**PROGRAMME ON COOPERATION  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA  
IN THE FIELDS OF CULTURE, ARTS AND HERITAGE**

---

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA and THE GOVERNMENT OF MALAYSIA** (hereinafter referred to singularly as "the Participant" and collectively as "the Participants"),

**RECALLING** the implementation of the Cultural Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia, signed in New Delhi on 30 March 1978;

**DESIRING** to develop and enhance bilateral relations between the two countries through co-operation in the field of culture, arts and heritage;

**RECOGNISING** the importance of culture, arts and heritage in the enhancement of knowledge and understanding between the people of both countries;

**BELIEVING** that the co-operation in culture, arts and heritage would mutually benefit both countries,

**HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:**

**PARAGRAPH 1**  
**OBJECTIVE**

The Participants, subject to the provisions of this Programme of Cooperation and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each country, jointly decide to strengthen, promote and develop co-operation between the two countries in the field of culture, arts and heritage on the basis of reciprocity and mutual benefits.

**PARAGRAPH 2**  
**AREAS OF CO-OPERATION**

Each Participant will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries,



endeavour to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:

- (a) promotion of close co-operative relations between arts, heritage and cultural institutions of the two countries;
- (b) enhancement of cooperation in the fields of literature, performing arts, visual arts and other related cultural activities;
- (c) exchange of archaeological materials of the two countries;
- (d) exchange of materials such as publications and other forms of audio visuals introducing the culture of the two countries;
- (e) collaboration in research and development through the exchange of experience, publications, research studies and other information pertaining to culture;
- (f) education and training in cultural arts and archaeology including exchange of experts and training of personnel;
- (g) organising meetings and visits of officials, experts and technical personnel through the exchange of programmes between both countries;
- (h) publicising and promoting cultural exhibitions and performances in both countries; and
- (i) any other areas of co-operation in the field of culture, arts and heritage to be jointly decided upon by the Participants.

### **PARAGRAPH 3** **DESIGNATED AUTHORITY**

The designated authority responsible for the implementation of this Programme of Cooperation on behalf of the Government of Malaysia will be the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia and on behalf of the Government of the Republic of India will be the Ministry of Culture India.

### **PARAGRAPH 4** **IMPLEMENTATION**

The Participants jointly decide that the specific cooperation programmes and/or activities set out in Paragraph 2 will be implemented on terms and conditions to be jointly decided by the Participants. Such specific cooperation programmes and/or activities will be decided by the Participants through consultations and are to be developed and finalised by mutual decision between the Participants.



**PARAGRAPH 5**  
**FINANCIAL ARRANGEMENT**

1. The financial arrangements to cover expenses for the co-operative programmes and/or activities undertaken within the framework of this Programme of Cooperation will be mutually agreed by the respective Participant on a case-by-case basis subject to the availability of funds and personnel resources.
2. Notwithstanding anything in subparagraph 1 above, expenses for organizing the meetings will be borne by the Participant hosting the meetings. The Participant which is sending its representatives for participation in the meetings, if any, will bear their own costs of travelling and accommodation.

**PARAGRAPH 6**  
**PARTICIPATION OF THIRD PARTY**

Either Participant may invite the participation of a third party in the joint programmes and/or activities being carried out under this Programme of Cooperation upon the agreement of the other Participant. In carrying out such joint programmes and/or activities, the Participants will ensure that the third party complies with the provisions of this Programme of Cooperation.

**PARAGRAPH 7**  
**PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Participants and with other international agreements to which both Participants are a party to.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Participants on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Participant.
3. Notwithstanding anything in Paragraph 7 (1) above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out:
  - (a) jointly by the Participants or research results obtained through the joint activity effort by the Participants, shall be jointly owned by the Participants in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
  - (b) solely and separately by the Participants or the research results obtained through the sole and separate effort by the Participant, shall be solely owned by the Participant concerned.



**PARAGRAPH 8**  
**CONFIDENTIALITY**

1. Each Participant shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Participant during the period of the implementation of this Programme or any other agreements made pursuant to this Programme of Cooperation.
2. Both Participants agree that the provisions of this Paragraph shall continue to be binding between the Participants notwithstanding the termination of this Programme of Cooperation.

**PARAGRAPH 9**  
**SUSPENSION**

Each Participant reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily either in whole or in part, the implementation of this **Programme of Cooperation**. Such suspension shall take effect immediately after a written notification has been given to the other Participant through diplomatic channels.

**PARAGRAPH 10**  
**REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT**

1. Either Participant may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Programme of Cooperation.
2. Any revision, modification or amendment agreed to by the Participants shall be reduced into writing and shall form part of this Programme of Cooperation.
3. Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be determined by the Participants.
4. Any revision, modification or amendment shall not prejudice the benefits and commitments arising from or based on this Programme of Cooperation before or up to the date of such revision, modification or amendment.

**PARAGRAPH 11**  
**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any differences or disputes between the Participants concerning the interpretation, implementation or application of any of the provisions of this Programme of Cooperation shall be settled amicably through the mutual consultation and/or negotiations between the Participants through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.



**PARAGRAPH 12**  
**EFFECT OF PROGRAMME ON COOPERATION**

Unless otherwise provided, this Programme of Cooperation serves only as a record of the Participants' intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

**PARAGRAPH 13**  
**RELATIONSHIP TO OTHER AGREEMENTS**

This Programme of Cooperation or any actions taken thereto will not affect the rights and obligations of the Parties under any existing agreements or arrangements to which the Parties are also parties. Any inconsistency between this Programme of Cooperation and any such agreements or arrangements will be settled amicably through mutual consultations.

**PARAGRAPH 14**  
**ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION**

1. This Programme of Cooperation will come into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of five (5) years.
2. Thereafter, it will be automatically extended for a further period of five (5) years.
3. Notwithstanding anything in this Paragraph, either Participant may terminate this Programme by notifying the other Participant of its intention to do so by a notice in writing through diplomatic channels, at least three (3) months prior to its intention to do so.
4. The termination of this Programme of Cooperation will not prevent the completion of the co-operation activities that might have been formalized prior to the date of the termination of this Programme of Cooperation unless otherwise concluded.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Programme of Cooperation.

The foregoing record represents the understandings reached between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia upon the matters referred to therein.



SIGNED at New Delhi on the 20<sup>th</sup> day of August in the year 2024 in four (4) original copies two (2) each in the English and Hindi languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.


FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA



SHRI GAJENDRA SINGH  
SHEKHAWAT

MINISTER OF CULTURE

FOR THE GOVERNMENT OF  
MALAYSIA



DATO SRI TIONG KING SING

MINISTER OF TOURISM, ARTS  
AND CULTURE



मलेशिया की सरकार  
और  
भारत गणराज्य की सरकार के  
बीच  
संस्कृति, कला और विरासत के क्षेत्रों में  
सहयोग कार्यक्रम

मलेशिया की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् पृथक रूप से "भागीदार" और संयुक्त रूप से "दोनों भागीदार" कहा जाएगा),

भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच 30 मार्च 1978 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समझौते के कार्यान्वयन का स्मरण करते हुए;

संस्कृति, कला और विरासत के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विकसित और सुदृढ़ करने की इच्छा से;

दोनों देशों के लोगों के बीच ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने में संस्कृति, कला और विरासत के महत्व को पहचानते हुए;

यह मानते हुए कि संस्कृति, कला और विरासत में सहयोग से दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा,

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

उद्देश्य

दोनों भागीदार, इस सहयोग कार्यक्रम के प्रावधानों और दोनों देशों में समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यधीन पारस्परिक और आपसी हितों के आधार पर संस्कृति, कला और विरासत के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने, बढ़ावा देने और विकसित करने हेतु संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं।



## अनुच्छेद 2

### सहयोग के क्षेत्र

प्रत्येक भागीदार अपने संबंधित देशों में विषयवस्तु को शासित करने वाले, समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगा:

- (क) दोनों देशों की कलाओं, विरासत और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना;
- (ख) साहित्य, मंच कलाओं, दृश्य कलाओं और अन्य संबंधित सांस्कृतिक कार्यकलापों के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना;
- (ग) दोनों देशों की पुरातात्विक सामग्रियों का आदान-प्रदान;
- (घ) दोनों देशों की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले प्रकाशनों और ऑडियो विजुअल के अन्य रूपों जैसी सामग्रियों का आदान-प्रदान;
- (ङ) संस्कृति से संबंधित अनुभव, प्रकाशनों, शोध अध्ययन और अन्य जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से अनुसंधान और विकास में सहयोग;
- (च) विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित सांस्कृतिक कलाओं और पुरातत्व में शिक्षा और प्रशिक्षण;
- (छ) दोनों देशों के बीच कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के माध्यम से पदधारियों, विशेषज्ञों और तकनीकी कार्मिकों की बैठकों और दौरा कार्यक्रमों का आयोजन;
- (ज) दोनों देशों में सांस्कृतिक प्रदर्शिनियों और प्रस्तुतीकरण का प्रचार करना और बढ़ावा देना; और
- (झ) दोनों भागीदारों द्वारा संस्कृति, कला और विरासत के क्षेत्र में सहयोग के किन्हीं क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा।

## अनुच्छेद 3

### निर्दिष्ट प्राधिकरण

मलेशिया की सरकार की ओर से इस सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निर्दिष्ट प्राधिकरण मलेशिया पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय होगा और भारत गणराज्य की सरकार की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय, भारत होगा।



#### अनुच्छेद 4

##### कार्यान्वयन

दोनों भागीदार संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं कि अनुच्छेद 2 में निर्धारित विशिष्ट सहयोग कार्यक्रमों और/अथवा कार्यकलापों का कार्यान्वयन दोनों भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से तय निबंधन और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे विशिष्ट सहयोग कार्यक्रम और/अथवा कार्यकलाप दोनों भागीदारों द्वारा परामर्श के माध्यम से तय किए जाएंगे और दोनों भागीदारों के बीच आपसी निर्णय के द्वारा विकसित और अंतिम रूप दिए जाएंगे।

#### अनुच्छेद 5

##### वित्तीय व्यवस्था

1. इस सहयोग कार्यक्रम के ढांचे के भीतर किए गए सहयोगात्मक कार्यक्रमों और/अथवा कार्यकलापों हेतु व्यय को कवर करने के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं के संबंध में मामला-दर-माला आधार पर परस्पर रूप से सहमति कायम की जाएगी जो निधियों और कार्मिक संसाधनों के अध्यधीन होगी।
2. उपर्युक्त उप अनुच्छेद 1 में उल्लिखित किसी बात के बावजूद भी, बैठकों के आयोजन हेतु व्यय का वहन बैठकों की मेजबानी करने वाले भागीदार द्वारा किया जाएगा। जो भागीदार देश बैठकों में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेज रहा है, यदि कोई हो, तो वह यात्रा और आवास की अपनी लागत का वहन स्वयं करेगा।

#### अनुच्छेद 6

##### तृतीय पक्ष की भागीदारी

कोई भी भागीदार दूसरे भागीदार की सहमति पर इस सहयोग कार्यक्रम के तहत किए जा रहे संयुक्त कार्यक्रमों और/अथवा कार्यकलापों में तृतीय पक्ष की सहभागिता आमंत्रित कर सकता है। ऐसे संयुक्त कार्यक्रमों और/अथवा कार्यकलापों को संचालित करने में दोनों भागीदार यह सुनिश्चित करेंगे कि तृतीय पक्ष इस सहयोग कार्यक्रम के अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।



## अनुच्छेद 7

### बौद्धिक परिसंपत्ति अधिकारों की संरक्षा

1. बौद्धिक परिसंपत्ति अधिकारों की संरक्षा, भागीदारों के संबंधित राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों और अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों, जिसमें दोनों भागीदार एक पक्ष हो, के अनुरूप लागू की जाएगी।
2. किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज और/अथवा कागज पर किसी भी भागीदार का नाम, लोगो और/अथवा अधिकारिक प्रतीक का उपयोग दोनों में से किसी भी भागीदार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना निषिद्ध होगा।
3. उपर्युक्त अनुच्छेद 7(1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी तकनीकी विकास, उत्पाद और सेवाओं के विकास के संबंध में बौद्धिक परिसंपत्ति अधिकारों का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा :
  - (क) दोनों भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा भागीदारों द्वारा संयुक्त कार्य प्रयासों के माध्यम से प्राप्त शोध परिणामों का स्वामित्व पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार संयुक्त रूप से दोनों भागीदारों के पास होगा।
  - (ख) भागीदारों द्वारा एकमात्र रूप से और पृथक रूप से अथवा भागीदार द्वारा एकमात्र रूप से और पृथक रूप से किए गए प्रयासों के माध्यम से प्राप्त शोध परिणामों का स्वामित्व एकमात्र रूप से संबंधित भागीदार के पास रहेगा।

## अनुच्छेद 8

### गोपनीयता

1. प्रत्येक भागीदार इस कार्यक्रम या इस सहयोग कार्यक्रम के अनुसरण में किए गए किन्हीं अन्य समझौतों के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान किसी अन्य भागीदार से प्राप्त या उसके द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों, सूचना या अन्य डेटा की गोपनीयता और गुप्तता सुनिश्चित करने की शपथ लेगा।
2. दोनों भागीदार सहमत हैं कि इस अनुच्छेद के अनुबंध इस सहयोग कार्यक्रम की समाप्ति के बावजूद भी भागीदारों के बीच बाध्यकारी रहेंगे।



## अनुच्छेद 9

### आस्थगन

प्रत्येक भागीदार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, जन आदेश या सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, इस सहयोग कार्यक्रम को अस्थायी तौर पर आस्थगित करने का अधिकार आरक्षित है। इस प्रकार का आस्थगन, राजनयिक चैनलों के माध्यम से अन्य भागीदार को लिखित अधिसूचना दिए जाने के तुरन्त बाद प्रभावी होगा।

## अनुच्छेद 10

### परिशोधन, आशोधन और संशोधन

1. दोनों में से कोई भी भागीदार इस पूरे सहयोग कार्यक्रम या इसके किसी भाग में परिशोधन, आशोधन या संशोधन करने का लिखित में अनुरोध कर सकता है।
2. भागीदारों द्वारा सहमत किसी भी परिशोधन, आशोधन या संशोधन लिखित रूप में दर्ज होगा और इस सहयोग कार्यक्रम का भाग होगा।
3. ऐसा परिशोधन, आशोधन या संशोधन भागीदारों द्वारा यथा निर्धारित किसी तारीख को प्रवृत्त होगा।
4. कोई भी परिशोधन, आशोधन या संशोधन ऐसे परिशोधन, आशोधन या संशोधन की तारीख से पहले या उस तारीख तक इस सहयोग कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले या इस पर आधारित हितों और प्रतिबद्धताओं को बाधित नहीं करेगा।

## अनुच्छेद 11

### विवादों का निपटान

इस सहयोग कार्यक्रम के अनुबंधों में से किसी भी अनुबंध की विवेचना, कार्यान्वयन या अनुप्रयोग के संबंध में भागीदारों के बीच किसी मतभेद या विवाद का निपटान सौहार्द्रपूर्ण रूप से, किसी तृतीय पक्ष या अंतरराष्ट्रीय अधिकरण के संदर्भ के बिना, राजनयिक चैनलों के माध्यम से भागीदारों के बीच परस्पर परामर्श और/या बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।



## अनुच्छेद 12

### सहयोग कार्यक्रम का प्रभाव

जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए, सहयोग कार्यक्रम केवल भागीदारों के विचारों का अभिलेख है और यह देशीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों का गठन या सृजन नहीं करता है और इसका उद्देश्य ऐसा करनी नहीं है और यह किसी कानूनी प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करेगा और इसे किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य दायित्वों, व्यक्ति या निहित, का गठन या सृजन करने वाला नहीं माना जाएगा।

## अनुच्छेद 13

### अन्य समझौतों से संबंध

यह सहयोग कार्यक्रम या इसके संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई से ऐसे किन्हीं मौजूदा समझौतों या व्यवस्थाओं, जिनमें ये दोनों पक्ष भी पक्ष हों, इन पक्षों के अधिकार और बाध्यताएं प्रभावित नहीं होंगी। इस सहयोग कार्यक्रम या ऐसे किसी भी प्रकार के समझौतों या व्यवस्थाओं के बीच किसी भी असंगति का निपटान सौहार्द्रपूर्ण ढंग से आपसी परामर्श के माध्यम से किया जाएगा।

## अनुच्छेद 14

### प्रवृत्ति, समयावधि और समापन

1. यह सहयोग कार्यक्रम इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
2. तत्पश्चात, यह स्वतः ही अगले पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित हो जाएगा।
3. इस अनुच्छेद में से किसी भी बात के बावजूद भी, कोई भी भागीदार अन्य भागीदार को इस कार्यक्रम को समाप्त करने के अपने आशय की सूचना देते हुए राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में सूचित करते हुए, ऐसा करने के आशय से कम से कम तीन (3) माह पूर्व समाप्त कर सकता है।
4. इस सहयोग कार्यक्रम के समापन से ऐसे किसी भी सहयोग कार्यक्रम के पूरा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस सहयोग कार्यक्रम के समापन की तारीख से पहले औपचारिक रूप से तय किए गए हों, जब तक कि उन्हें अन्यथा समाप्त किया गया हो।




इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होते हुए इस सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं।

पूर्ववर्ती रिकॉर्ड मलेशिया की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच तय समझौतों और उनमें उल्लिखित मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।


नई दिल्ली में दिनांक 20 अगस्त वर्ष 2024 को चार (4) मूल प्रतियों, अंग्रेजी और हिंदी भाषा, प्रत्येक की दो (2) मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। किसी भी पाठ की विवेचना में विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

मलेशिया की सरकार  
की ओर से



दाता श्री तिआंग किंग सिंग  
मलेशिया के पर्यटन, कला  
और संस्कृति मंत्री

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से



श्री गजेंद्र सिंह शेखावत  
संस्कृति मंत्री